

Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

चारंगी देवी

बनाम




धूलसारिंह etc

किस्म मुकदमा

राजस्व दरखास्त

नं. 07

सन 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
11/2/16	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/2/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p> <p>29.2.16 पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी को रिदाफत दी जाती है कि उतेवाली संख्या 2.5 से 12 तक, 14, 15, 20, 21, 22 का रही पत्रावली कर पत्रावली नोटिस पेश करे, पेश होते पर जारी हो तथा अप्रार्थी सं. 17 के फौल होते से का.मु. की कार्यवाही की जावे । पत्रावली डाफ्टर दिनांक 12/4/2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p> <p>राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महो. पाली के निर्देशानुसार पत्रावली आयन्दा केम्प लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय.....पत्रावली दिनांक 19/6/16 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	<p style="text-align: center;">146 2016</p>

146
2016

S
31/11

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
<p>6/9/19</p> <p>23/9/19</p>	<p>वकूलाय अनुपरिथत। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपरिथत रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इत्तावा होकर पत्रावली दिनांक 23/9/19 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट. मा. जं.</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील डाक्टर उषा वकील डाक्टर ने दस्तावेज प्रकरण को आगे नहीं चलाने हेतु तथा वार को / डाक्टर को पुनः लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए Not Press करते हेतु निर्णय निवेदन पत्र लिखी की। वकील वारी / डाक्टर के निवेदन पर मनन किया गया। वकील डाक्टर के निवेदन को स्वीकार करते हुए तथा डाक्टर अधिवक्ता के वार को पुनः लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए डाक्टर को अधिवक्ता डाक्टर के राजिनामे / लक्षित ले जारीये Not-Press जारी किया जाता है। मजल जेजल शमार होकर नम्बर ले काम हो।</p> <p>निर्णय जे इजलल आज दिनांक 23/9/19 को सुनाया गया।</p> <p>जहा मलमर काजं</p>	<p>पुनः पत्रावली पेश किया जायेगा इस N/P 2/10 11/9/19</p>

